आर्द्रभूमियों को रामसर स्थलों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान सरकार ने **राज्य में 5 आर्द्रभूमियों को** रामसर स्थलों के रूप में विकसित करने के लिये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है।

- इससे पहले **सांभर झील** को मार्च 1990 में और **केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान** को अक्तूबर 1981 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था।

मुख्य बिंदु:

- राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण ने **जोधपुर में खिचन पक्षी अभयारण्य, जयपुर में चंदलाई, कोटा में कनवास पक्षी विहार, बीकानेर में लूणकरणसर और उदयपुर ज़िले में मेनार झील का प्रस्ताव दिया है।**
    - अधिकारियों के अनुसार, सभी 5 आर्द्रभूमियाँ मध्य एशियाई फ्लाईवे में आती हैं, जिसका **उपयोग प्रवासी पक्षियों द्वारा किया जाता है जो गर्म तापमान के लिये नवंबर से फरवरी तक इस क्षेत्र में उड़ान भरना शुरू कर देते हैं।**
- इन स्थलों पर, **राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड औद्योगिक अपशिष्टों** को पानी में छोड़े जाने से रोकने के लिये कार्रवाई कर रहा है। अतिक्रमण रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है।

आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन

- यह एक **अंतर-सरकारी संधि** है, जिसे **2 फरवरी, 1971** को **कैस्पियन सागर** के दक्षिणी तट पर स्थित ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था।
- भारत में **यह 1 फरवरी, 1982 को लागू किया गया**, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया।
- 2023 तक, भारत में **कुल 75 रामसर स्थल** हैं।
- रामसर टैग आर्द्रभूमि के **बेहतर रखरखाव और प्रबंधन** में मदद करता है और क्षेत्र के लिये पर्यटन को प्रोत्साहित करता है।

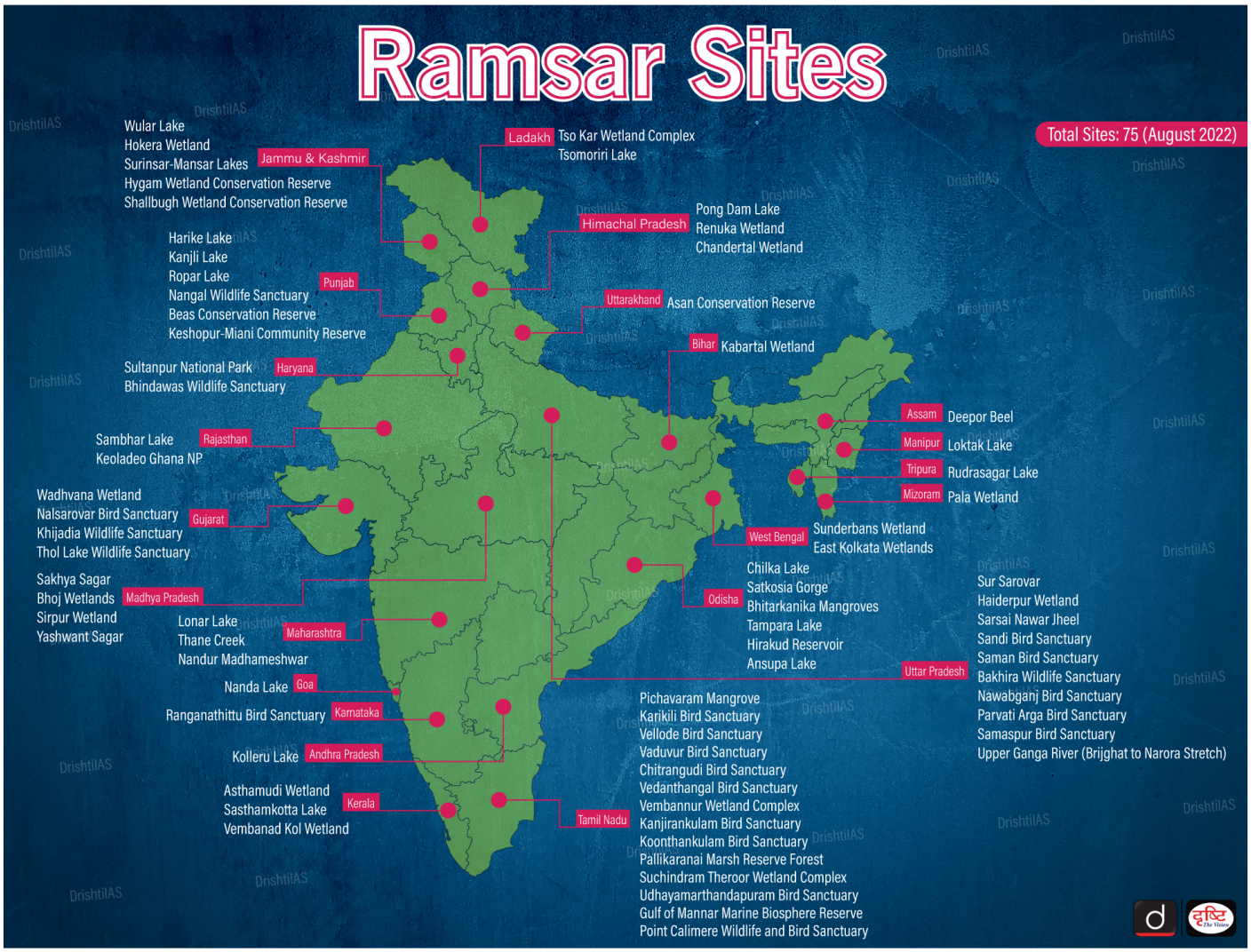

//

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/proposal-to-develop-wetlands-as-ramsar-sites